

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1446 / 14-1, (13877 / 2015) दिनांक: अलीगढ़, अक्टूबर: 29, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- विषय:-** कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।
- संदर्भ:-**
- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/40/2017/एफ0सी0/1194 दिनांक 28.01.2021
 - 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1879/11सी-FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक 03.02.2021
 - 3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक-1517/FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक 13.10.2021

महोदय,

कृपया कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0-537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) से संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध करायी है। निम्न प्रकार संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है:-

S.no.	Objection	Reply
1	अपर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 12.11.2020 द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.09.2020 के परिपेक्ष्य में यह सूचित किया गया है कि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 14.12.2015 में उल्लिखित किया गया है कि नोडल अधिकारी, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22.08.2015 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, उक्त पत्र की प्रतिलिपि कपया इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। नोडल अधिकारी द्वारा निजी पेट्रोल कंपनियों को संपर्क मार्ग हेतु स्वीकृति प्रदान की	प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 14.12.2015 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि-"विषयक प्रस्ताव को नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक 22.08.2015 को स्वीकृत किया गया है। जो इस कार्यालय में याचक विभाग (एस्सार ऑयल लि0) के पत्रांक EOW /UP-W-1697/003 दिनांक 14.09.2015 द्वारा पांच प्रतियों में प्रेषित किया गया। जिसे प्रभाग स्तर पर ऑनलाइन अपलोड कर, पावती रसीद सहित एवं प्रस्ताव की 04 प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है"। उक्त से आशय है कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव दिनांक 12.07.2015 को parivesh.nic.in पर ऑनलाइन प्रेषित किया गया। जिसे नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक 22.08.2015 को ऑनलाइन स्वीकार्य कर, प्रस्ताव को हार्ड कॉपी प्रभाग में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है न कि प्रस्ताव में कोई स्वीकृति प्रदान की गयी है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार ही अधिकृत है। प्रकरण में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन ने पत्र संख्या 1594/जि0पू0अ0/पेट्रू0अनु0/20 दिनांक 12.11.2020 द्वारा अवगत

<p>गई है (जैसा कि प्रभागीय निदेशक अलीगढ़ के पत्र दिनांक 14.12.2015 द्वारा सूचित किया गया है) क्या राज्य सरकार उक्त स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम है ? यदि हां तो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को क्यों स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया है ? यहां यह स्पष्ट करना है कि FCA Guideline के अनुरूप निजी पेट्रोल कम्पनियों को स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार को कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। यह वन संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। कपया दोषी अधिकारियों के विरुद्ध FCA के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट अनुशांसा सहित रिपोर्ट प्रेषित करें।</p>	<p>कराया गया है कि "प्रश्नगत प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या दिनांक 14.12.2015, (वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किये जाने का पत्र) मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ की आख्या दिनांक 17.12.2015 (नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किये जाने का पत्र) एवं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा To Whomsoever It May Concern जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28.11.2015 (जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में प्रमाण पत्र) के आधार पर एवं सभी सम्बन्धित 10 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत जिलाधिकारी, महोदय के अनुमोदन दिनांक 19.02.2016 के तत्पश्चात् अपर जिलाधिकारी, प्रशासन द्वारा कार्यालय पत्रांक 711/एन0ओ0सी0/पेट्रो0अनु0/16 दिनांक 05.03.2016 को अनपात्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।"</p> <p>उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार अपर जिलाधिकारी, प्रशासन द्वारा कार्यालय पत्रांक 711/एन0ओ0सी0/पेट्रो0अनु0/16 दिनांक 05.03.2016 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।</p>
---	---

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,
29/10/2021
(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।